

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना
सं०. 74/2020- सीमा शुल्क (गै.टे.)


नई दिल्ली, दिनांक 17th अगस्त, 2020

का.आ. (अ).-सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त सारणी के कॉलम (2) में संदर्भित कारण बताओ नोटिसों में न्याय निर्णयन करने के उद्देश्य से, इसी सारणी के कॉलम (1) में उल्लिखित नोटिसी के मामले में, उक्त सारणी के कॉलम (3) में संदर्भित अधिकारियों को दिये गए या सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)
मै से हैनन क्लाइमेट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसपी-812A, RIICO इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-II, भिवाड़ी, राजस्थान	डिमांड कम कारण बताओ नोटिस 11/Commr/PBA-1/2020 दिनांक 21.07.2020, C.No. VIII(NCH)/Cus-Audit/PBA/B1/APR-4/2019/501 दिनांक 24.07.2020 के अंतर्गत जारी	(i) प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क, एसीसी आयात, न्यू कस्टम हाउस, नियर IGI एयरपोर्ट, नई दिल्ली	आयुक्त, सीमाशुल्क आईसीडी- पतपड़गंज और अन्य आईसीडी, गाजीपुर, दिल्ली
		(ii) आयुक्त, सीमाशुल्क आईसीडी- पतपड़गंज और अन्य आईसीडी, गाजीपुर, दिल्ली	
		(iii) प्रधान आयुक्त, एसीसी आयात, तुगलकाबाद, नई दिल्ली	
		(iv) आयुक्त, सीमाशुल्क NS-V, कस्टम हाउस, न्हा शेवा, ताल-उरान, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र	

[फा° सं 437/1/2020- सीमाशुल्क IV]


(आनंद राधाकृष्णन)
उप सचिव (सीमाशुल्क)